झारखण्ड सरकार

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी

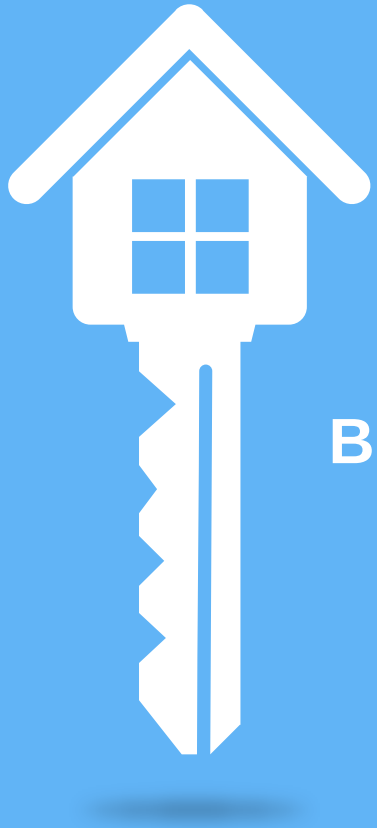

HARNESSING HOUSING

Under

BENEFICIARY LED CONSTRUCTION (BLC), JHARKHAND

PRADHAN MANTRI AAWAS YOJANA (URBAN)

URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
GOVERNMENT OF JHARKHAND

ROAD MAP

Road Map for Implementation of PMAY-U

Verticals	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-2022	Total
ISSR	0	0	13789	38795		Implementation		**52584**
CLSS	0	30	162	7718	6454	2193		**16557**
AHP	0	0	35230	38720		Implementation		**73950**
BLC (N& E)	**7739**	**32747**	**40735**	**23195**	**Implementation**			**104416**
Total	**7739**	**32777**	**89916**	**108428**	**6454**	**2193**		**247507**

PMAY (U): BLC PROJECT

Demand Assessed	Component	Houses Sanctioned (Nos.)	Amount Sanctioned (Rs in Cr)	Amount Released (Rs in Cr)	Houses grounded (Nos.)	Houses Geo-tagged
2.47 Lakhs (44 cities)	AHP	42,493	528.45	264.63	1067	4 Projects
	BLC	1,07184	1524.73	1029.84	44,582	57,202
	ISSR	15,517	137.89	-	-	NA
	Total	**1,65,194**	**2191.07**	**1294.47**	**45,649**	**57,202**

*Out of 107184 DUs , surrender requisition of 6798 DUs has been sent to ministry after SLSMC approval.

Beneficiary Led Construction – Vertical IV progress

Sl No.	Financial Year	Sanctioned DUs	Completed DUs	In Progress				Non Starters
				Foundation	Plinth	Roof	Total	
1	2015-16	7739	6808	57	51	298	406	40
2	2016-17	32747	21068	2392	745	4466	7603	557
3	2017-18	61163	4765	21634	7406	7533	36573	17420
4	2018-19	5535	0	0	0	0	0	5535
	Total	**1,07,184**	**32251**	**24083**	**8202**	**12297**	**44582**	**23552**

INTERFACE WITH MIS FOR BLC

Indicators	Current Status (No.)
Survey entry made (%)	100%
Projects approved:	256
Projects entered (7C)	256
DUs approved under BLC	1,07,184
Beneficiaries attached	1,01,373
Houses geo-tagged (No. of Unique Beneficiary)	57,202
Total fund transferred through DBT (Rs. Lakhs)	811.77 Cr
National Electronic Funds Transfer (NEFT)	578.08 Cr
PFMS/ DBT	233.69 Cr (Including Aadhar Based)
Aadhar Payment Bridge (APB)	111.07 Cr

Awareness/ Stakeholders workshops

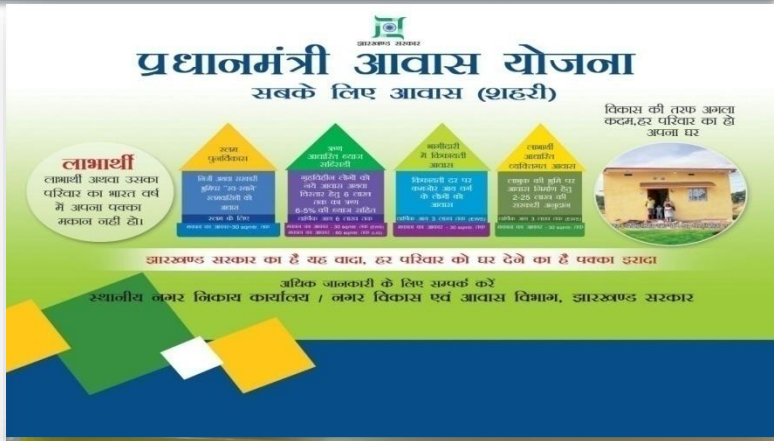

Demand Generation

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रेस विज्ञप्ति

CLSS योजना प्रकार	पात्रता घरेलू आय (रु०)	कालीन क्षेत्र-अधिकतम (वर्गमीटर)	ब्याज सब्सिडी (%)	ऋण की अवधि	सब्सिडी की अधिकतम ऋण पर गणना की गयी	ऋण का उद्देश्य	अधिकतम सब्सिडी (रु०)
EWS & LIG	रु तक 6,00,000	60 वर्गमीटर	6.50%	20 वर्ष	6,00,000	खरीद/स्व निर्माण/विस्तार	2.67 लाख
MIG-1	रु० 6,00,000 से रु० 12,00,000	90 वर्गमीटर	4.00%	20 वर्ष	9,00,000	खरीद/स्व निर्माण	2.35 लाख
MIG-2 **	रु० 12,00,001 से रु०18,00,000	110 वर्गमीटर	3.00%	20 वर्ष	12,00,000	खरीद/स्व निर्माण	2.30 लाख

PR-163646(Ranchi Municipal Corporation)17-18

Awareness/ Stakeholders workshops

IEC campaign

Awareness creation through IEC activities :

- Miking
- Meetings at State/ULB/ ward level
- Newspaper / electronic media

Citizen Participation

STAKEHOLDERS/BENEFICIARY PARTICIPATION

Collection of forms through Camps organized at ULB/ ward level

- **Verification of eligibility of submitted forms**
- **List of beneficiaries circulated to all ward members for their comments.**
- **Validation committed headed by chairperson setup to invite objections and finalize the survey data**
- **Approval of list of beneficiaries from Boards of ULBs**

Policies / Guidelines

बिहार और झारखंड : अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, हर गांव में सड़क

झारखंड में 2017-18 में सड़क निर्माण के लिए 5464 करोड़ का बजट है। 2821 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। 2019 तक 20 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा 2 हजार करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने किफायती आवास नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत बिल्डर्स को कम ब्याज पर लोन की सुविधा मिलेगी। वहीं, बिहार में सरकार ने हर गांव में सड़क पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ब्रिक्स बैंक से लोन लेने की तैयारी है। सरकार ने रोड विजन 2020 को मंजूरी दी है, जिसका मकसद राज्य में रोड नेटवर्क को बेहतर बनाना है। इधर, हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

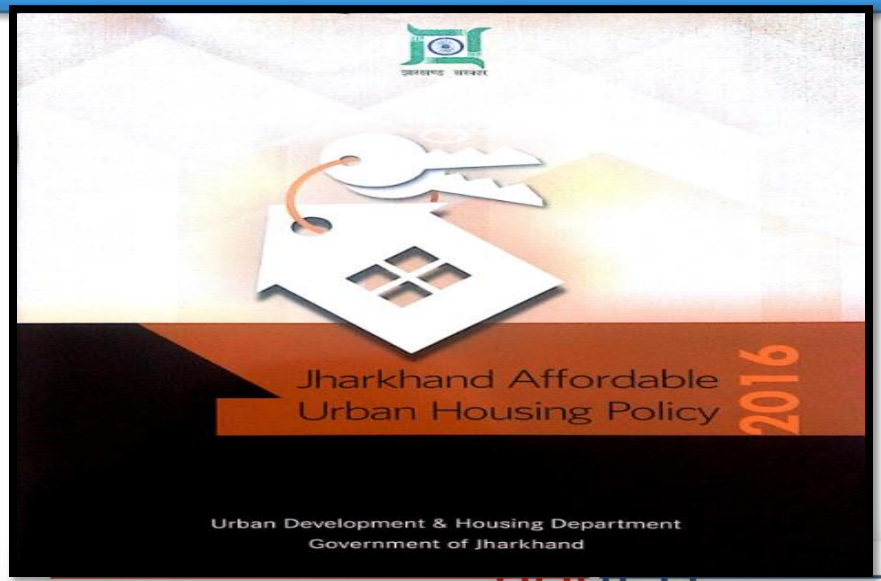

प्रभात खबर
सिटी फर्स्ट

शुरुआत. नगर विकास मंत्री ने जारी की शहरी आवास, वाटर यूजर चार्ज व विज्ञापन नीति

लागत मूल्य पर सबको मिलेगा आवास

झारखंड सरकार सभी को लागत मूल्य पर आवास देगी, लेकिन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा, जिनके अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम से देश के किसी हिस्से में मकान न हो. आवास छह लाख रुपये तक के सालाना आय वालों को ही मिलेगा. यह घोषणा राज्य सरकार की आवास नीति में की गयी है, जिसे नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने सोमवार को जारी किया है.

वरीय संवाददाता ▸ रांची

बेघरों को मिलेगा अपना आशियाना

- कंज्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल साइट ऑनलाइन नक्शा और जुडको की वेबसाइट भी लांच की गयी
- उपभोक्ता अब ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायतें नक्शों के लिए आवेदन भी ऑनलाइन लिये जायेंगे

1200 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से मिलेगा आवास

दो तरह के आवास बनायेगी सरकार

दूसरी नीति : रिंग रोड में बड़ी होर्डिंग नहीं लगेगी

अब कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी

तीसरी नीति : पानी की खपत के अनुसार बिल

नक्शा के लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जायेगा

Policies / Guidelines

- **Operational Guideline issued for the scheme**
- **SOP prepared**
- **File management introduced for data management**

File Management

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घटक – 4 के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाईयों के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नगर निकाय के पदाधिकारियों / कर्मियों के दायित्वों के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न अवसरों पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि तक प्रत्येक परिवार को आवश्यक नागरिक सुविधा प्रदान करने के साथ "सभी के लिए आवास– शहरी" की परिकल्पना की गई है।

इस परिकल्पना को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा एक व्यापक मिशन "2022 तक सबके लिए आवास – शहरी" शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य निम्नांकित विकल्पों के माध्यम से राज्य के समस्त आवासविहीन निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

- घटक–1 : भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास।
- घटक–2 : ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
- घटक–3 : सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण।
- घटक–4 : लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान।

मार्गदर्शिका के उपरोक्त विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण घटक–4 "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" है। जिसके तहत अभी तक कुल 1,01,649 आवासों का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवासों में कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु PMCs की सहभागिता ली जा रही है। अतः योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु निकाय के अंतर्गत कार्य कर रहे पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए निम्नांकित दायित्व निर्धारित किये जाते हैं :–

नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के दायित्वः–

- नगर प्रबंधक/निकाय स्तरीय तकनीकी कोषांग (CLTC) के विशेषज्ञों एवं PMCs के दैनिक कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करना।
- निकायों में निर्मित किए जा रहे आवासों का क्षेत्रभ्रमण कर प्रति सप्ताह कम से कम 10 आवासों का भौतिक सत्यापन करना।
- जिन लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा हो या निर्माण कार्य की प्रगति धीमी हो, उनके साथ नियमित बैठक कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रेरित करना एवं निर्माण कार्य में प्रगति लाना।
- जिन लाभुकों द्वारा सरकारी अनुदान की राशि प्राप्त करने के पश्चात कार्य नहीं किया जा रहा हो, वैसे लाभुकों को चिन्हित कर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अनुदान की राशि वापस प्राप्त करने हेतु Certificate Case एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई करना।

Implementation Strategies

Agreement Week

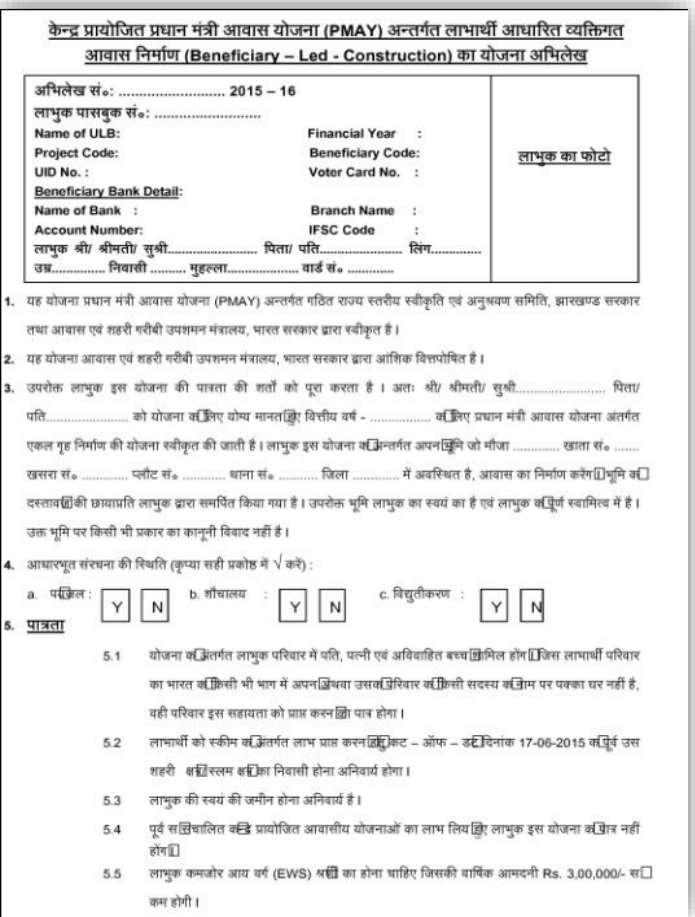

केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (Beneficiary – Led - Construction) का योजना अभिलेख

अभिलेख सं॰: .... 2015 – 16 लाभुक पासबुक सं॰: .... Name of ULB: Financial Year : Project Code: Beneficiary Code: UID No. : Voter Card No. : Beneficiary Bank Detail: Name of Bank : Branch Name : Account Number: IFSC Code : लाभुक श्री/ श्रीमती/ सुश्री........................ पिता/ पति........................ लिंग............. उम्र.............. निवासी .... मुहल्ला.................... वार्ड सं॰	लाभुक का फोटो

1. यह योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति, झारखण्ड सरकार तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
2. यह योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तपोषित है।
3. उपरोक्त लाभुक इस योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। अतः श्री/ श्रीमती/ सुश्री........................ पिता/ पति........................ को योजना के लिए योग्य मानते हुए वित्तीय वर्ष - .... के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत एकल गृह निर्माण की योजना स्वीकृत की जाती है। लाभुक इस योजना के अन्तर्गत अपने भूमि जो मौजा .... खाता सं॰ .... खसरा सं॰ .... प्लौट सं॰ .... थाना सं॰ .... जिला .... में अवस्थित है, आवास का निर्माण करेंगे। भूमि के दस्तावेजों की छायाप्रति लाभुक द्वारा समर्पित किया गया है। उपरोक्त भूमि लाभुक का स्वयं का है एवं लाभुक के पूर्ण स्वामित्व में है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं है।
4. आधारभूत संरचना की स्थिति (कृप्या सही प्रकोष्ठ में √ करें) :
   a. पेयजल : Y N b. शौचालय : Y N c. विद्युतीकरण : Y N
5. पात्रता
   - 5.1 योजना के अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस सहायता को प्राप्त करने का पात्र होगा।
   - 5.2 लाभार्थी को स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कट – ऑफ – डेट दिनांक 17-06-2015 के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
   - 5.3 लाभुक की स्वयं की जमीन होना अनिवार्य है।
   - 5.4 पूर्व संचालित केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजनाओं का लाभ लिये हुए लाभुक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
   - 5.5 लाभुक कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी का होना चाहिए जिसकी वार्षिक आमदनी Rs. 3,00,000/- से कम होगी।

Agreement with beneficiaries

- Agreement format designed
- Agreement week celebrated
- Foundation Digging week

Details of innovation

HIRING OF PMCs

- PMCs for all five clusters to monitor the progress of 107184 DU's
- Provide technical assistance to beneficiaries
- Geo-tagging
- Quality Check
  - Progress monitoring through in-house developed software
  - Individual beneficiary payment tracked and necessary directions issued to ULBs

https://www.youtube.com/watch?v=GUTv4tKOsvE

https://www.facebook.com/JharkhandPMAY

Link: https://twitter.com/DirectorateMun1

Details of innovation

Passbook to Beneficiaries of Vertical – iv

(Recommended to all states by GOI)

- Contains beneficiary details, scheme information, installment details – paid & due, physical progress & geo-tagging etc.

Public Grievance Management System (PGMS)

- PGMS portal was set-up to resolve grievances
- 88 % success rate.

Details of innovation

Convergence with NULM and other social schemes Vertical – IV

- Mason / pluming / electrician Training.
- Recognize RANI MISTRI as one of the
- Training of SHG / PMAY paid & due, physical progress & geo-tagging etc

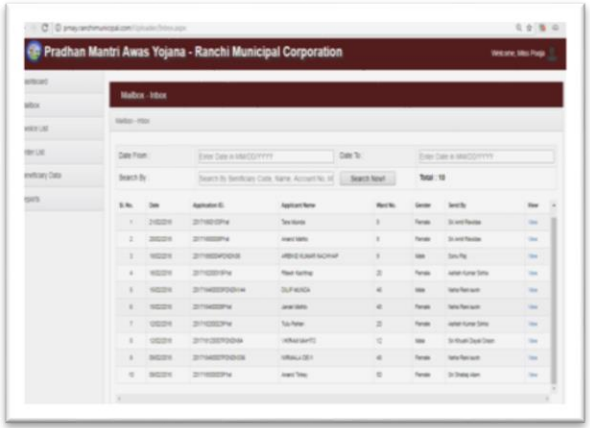

Online Fund Management & Monitoring System in Ranchi (model project)

- Mobile App developed, which allows real time monitoring and approvals for fund
- disbursement.

- Fund transfer takes place directly to the beneficiary (DBT).

Details of innovation

Traditional Paintings

- Paintings on houses depicting cultural traditions of Jharkhand

Grih Pravesh Pujanotsav

- Grih Pravesh Pujanotsav celebrated on 2nd October 2017, 15th November 2017, 26th January 2018

GRIH PRAVESH PUJNOTSAV

MONITORING STRATEGIES

Institutional arrangement for monitoring of projects at State/ULB Level

- State Level and City Level Technical Cell Functional
- Review only based on Geo tagging
- Weekly Review with ULBs through VC
- Extensive review of bottom 10 cities

External Agencies/TPQMA

- Engagement of PMCs for supportive supervision
- Appointment of TPQMA – Re – Tender published
- Social Audit process initiated – Agency nominated

SAMPLE HOUSES UNDER BLC

Convergence with Social schemes

पत्रांक :- 03/न०प्र०नि०/PMAY /रानी मिस्त्री /133/2018...1975.....

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
नगरीय प्रशासन निदेशालय
एफ०एफ०पी० भवन, तृतीय तल, घुर्वा, राँची–834004
दूरभाष सं०.: 0651-2401955, 2401182(Fax), ई–मेल:- director.ma.goj@gmail.com

प्रेषक ,

आशीष सिंहमार, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

नगर आयुक्त /अपर नगर आयुक्त /कार्यपालक पदाधिकारी /विशेष पदाधिकारी
सभी नगर निकाय ।

राँची/दिनांक:- 12/07/18

विषय : **स्थानीय नगर निकायों में रानी मिस्त्री के प्रशिक्षण के संबंध में।**
प्रसंग : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार का पत्रांक K-13011(1)/7/2018/-HFA-V-UD 90434620 दिनांक: 12-06-18

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पूरे राज्य में लगभग 2.47 लाख आवासों की आवश्यकता है । विभिन्न घटकों में अभी तक लगभग 1.65 लाख आवासों की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक (BLC) अंतर्गत 32,215 आवास पूर्ण हो चुके हैं एवं करीब 44,500 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन आवासों के निर्माण हेतु कुशल मानबल की आवश्यकता अत्यधिक है । गृह निर्माण में कई निकायों में महिलाओं के द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय है ।

माननीय प्रधानमंत्री दवारा दिनांक: 05 जून , 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभुकों तथा रानी मिस्त्री बहनों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया गया था । माननीय प्रधानमंत्री दवारा झारखंड की रानीमिस्त्रीयों के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तथा केंद्र सरकार की अन्य महत्वकांक्षी परियोजनाओं में उनके दवारा किए जा रहे योगदान को सराहा गया है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रानी मिस्त्री की संकल्पना महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन रही है ।

वर्तमान में निकायों में NULM के माध्यम से Construction, Plumbering, Mason इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अतः उक्त प्रशिक्षणों में नगर निकायों के महिला समूहों (SHG) एवं PMAY की लाभार्थी जो आवास निर्माण के विभिन्न गतिविधियों में रूचि रखते हों, की सूची तैयार कर उनका प्रशिक्षण Construction, Plumbering, Mason इत्यादि विषयों पर , राज्य स्तर से चयनित प्रशिक्षण प्रदाता (Training Providers) के द्वारा करवाया जा सके । उक्त प्रशिक्षण के पश्चात सम्बंधित रानी मिस्त्री से निर्माणाधीन आवासों के कार्यों में सहयोग लिया जा सकेगा । जिससे न सिर्फ उनके आय में वृधि होगी अपितु महिला सशक्तिकरण का एक नया आयाम दिया जा सकेगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि शहरी आवास निर्माण एवं सम्बंधित गतिविधियों/ क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु अपने नगर निकायों के PMAY(U) की इच्छुक महिला लाभुकों एवं अन्य इच्छुक महिलाओं की सूची 7 दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
12/7/18

GO letter issued for training of Rani Mistri

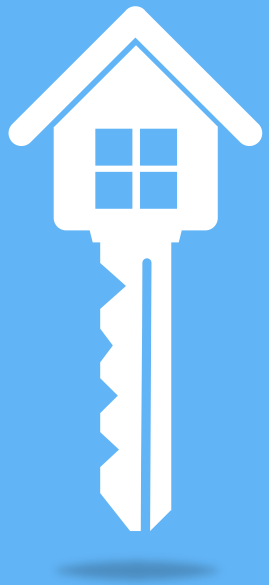

Thank you

Directorate of Municipal Administration
Urban Development and Housing Department
Government of Jharkhand.